अवलोक...

कार्यालय : जिलाधिकारी जनपद – लखीमपुर खीरी।

पंत्राक सी-330 / जि0का0अधि0 / ड्राईराशन / 2021–22 दिनाक 23 जून 2021

आदेश

निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के पंत्राक सी–145 / बा0वि0परि0 / पो0एवं0स्वा0 / 2021–22 दिनांक 03 जून 2021 के क्रम में ड्राईराशन योजना में लाभार्थियों को माह अप्रैल, मई, जून–21 हेतु खाद्यान्न वितरण का आंबटन प्राप्त हुआ है, जिसकें सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश दिये गये है।

1 लाभार्थियों को वितरित किये जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा निम्नवत निर्धारित की गयी है–

Category of Beneficiary	Take Home Ration			
	Wheat	Rice	Chana Dal	Refined Fortified (Soyabeen) Edible oil
Children 06m to 03y	1.0 kg	1.0 kg	1.0 kg	0.455 kg
Children 03y to 06y	500 gm-	500 gm	500 gm-	0.0
PW & LW	1.5 kg	1.0 kg	1.0 kg	0.455 kg
06m to 06y Severely Malnourished Children	1.5 kg	1.5 kg	2.0 kg	0.455 kg

2 शहरी क्षेत्र के 100 आ0बा0 केन्द्रो पर नैफेड द्वारा आंबटित गेहूँ के सापेक्ष गेहूँ की दलिया चना दाल तथा रिफाइन्ड फोर्टिफाइड सोयाबीन ऑयल का वितरण सीधे ऑगनबाडी केन्द्रो पर किया जायेगा। आ0बा0 कार्यकत्रियों द्वारा स्थानीय कोटेदारो से संबधित लाभार्थियों को टोकन निर्गत करते हुए सीधे कोटेदार से चावल निर्धारित मात्रा में उपलब्ध कराया जायेगा तथा जिसका वितरण ऑगनबाडी कार्यकत्री द्वारा किया जायेगा।

3 ग्रामीण क्षेत्रो में व्यवस्था परिवर्तन करते हुये कोटेदारो से गेहूँ व चावल का वितरण निर्धारित आवंटन व मात्रानुसार सीधे कोटेदार से लाभार्थियों को कराया जायेगा। जिसके लिए ऑगनबाडी कार्यकत्रियों को वितरण के पूर्व प्रत्येक लाभार्थी को टोकन जिसमें लाभार्थी का नाम, अभिभावक का नाम,वितरण मात्रा व तिथि का अंकन होगा, निर्गत किया जायेगा। कोटेदार के वितरण समय आ0बा0 उपस्थित रहकर लाभार्थी / अभिभावक के हस्ताक्षर अपने वितरण पंजिका पर अनिवार्य रूप से कराकर सुरक्षित रखा जायेगा। नैफेड द्वारा प्राप्त दाल व तेल को परियोजना कार्यालय से पूर्व की भाँति एवं स्वयं सहायता समूहो द्वारा उठान किया जायेगा।

4 वितरण के पूर्व सभी लाभार्थियों के आधार के अनुसार सत्यापन अवश्य किया जाये, वास्तविक लाभार्थियों को ही वितरण कराया जाये।

5 कोविड–19 के कारण अभी ऑ0बा0 केन्द्र बन्द चल रहे है। अतः अग्रिम आदेशों तक डोर टू डोर वितरण किया जायेगा।

6 प्रत्येक ऑगनबाडी केन्द्र के वितरित लाभार्थियों की सूचना अनिवार्य रूप से भारत सरकार द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप पर किया जायेगा।

7 प्रत्येक वितरण के उपरान्त निर्धारित प्रारूप पर सूचना एकत्र कर 15 तारीख तक जिला पोषण समिति एवं निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

8 ड्राईराशन योजना के निरीक्षण लाभार्थियों के सत्यापन व संचालन हेतु अधोहस्ताक्षरी के पत्र सं0–सी 1379 दिनांक 06 नवम्बर 2020 के द्वारा उपजिलाधिकारी के स्तर से गठित ब्लाक निगरानी समिति तथा ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम निगरानी समिति का गठन कर बैठक कराये जाने के निर्देश दिये गये है जिसके अन्तर्गत लाभार्थियों को वितरित सामग्री का भौतिक सत्यापन, अन्तर विभागीय समन्वय, आपूि

वितरण की निगरानी करने के निर्देश दिये गये है। उक्त समितियों की बैठक प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से करायी जाये, जिसकी बिन्दुवार बैठक कार्यवृत्त अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत की जाये।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगें।

(डा0 अरविन्द कुमार चौरसिया)
जिलाधिकारी
लखीमपुर खीरी।

पृष्ठांकन सी/330 /तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, उ0 प्र0 शासन।
3. निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0 प्र0 लखनऊ।
4. मुख्य विकास अधिकारी लखीमपुर खीरी।
5. उपायुक्त स्वतः रोजगार/ग्रामीण आजीविका मिशन।
6. जिला कार्यक्रम अधिकारी खीरी को अनुपालनार्थ।
7. समस्त उपजिलाधिकारी जनपद–लखीमपुर खीरी को पालनार्थ।
8. समस्त खण्ड विकास अधिकारी–लखीमपुर खीरी को पालनार्थ।
9. जिला आपूर्ति अधिकारी, लखीमपुर खीरी को इस आशय से कि संबंध में सभी कोटेदारो को अवगत कराने का कष्ट करें।
10. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रभारी एवं मुख्य सेविका को अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी
लखीमपुर खीरी।